

बीआरसी पौली पर दो दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन



शिक्षण कार्य में वंडर बाक्स का अवश्य करें उपयोग— अर्जुन प्रसाद

संतकबीरनगर (पौली) ब्लाक संसाधन केंद्र पौली के समागार में सोमवार को प्री-आइएम से संबंधित वंडर बाक्स का आंगनवाड़ी एवं नौडल शिक्षण क्षमता संवेदन हेतु दो दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें प्री आइएम के बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के तरीके बताये गये।

कार्यक्रम का शुभारंभ अर्जुन अतिथि खंड शिक्षा अधिकांरी अर्जुन प्रसाद व मुख्य सचिका ज्योति ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के बाद प्रवृत्तिलि कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अर्जुन प्रसाद ने कहा कि प्री-आइएम की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मेहनत कर रही हैं जो दिख भी रहा है। लेकिन शिक्षण कार्य में विभाग द्वारा मिले वंडर बाक्स

12 गांवों में लगेगी चकबन्दी चौपाल

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। जिले में चकबन्दी प्रक्रिया को पारदर्शी और समझदर बनाने के लिए प्रशासन ने ग्राम चौपाल लगाने का निर्णय लिया है। चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जिले के 12 चकबन्दी प्रक्रियाधीन गांवों में 24 से 27 फरवरी के बीच ये चौपालें आयोजित की जाएगी। इन चौपालों में वरिष्ठ अधिकारी स्वयं उपस्थित रहकर किसानों की समस्याओं को सुनेंगे और मौके पर ही उनको समाधान का प्रयास करेंगे।

बनोदस्त अधिकारी चकबन्दी डॉ. ललित कुमार मिश्रा ने बताया कि चकबन्दी निदेशालय के निर्देशानुसार ग्राम स्तर पर चौपालों का आयोजन किसानों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य चकबन्दी कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, खासतौर पर की समस्याओं का त्वरित निवारण करना और विवादों को समय रहते सुलझाना है। इससे किसानों को अन्यायपूर्ण मुकदमेबाजी से राहत मिलेगी और चकबन्दी प्रक्रिया में तेजी आएगी। जारी रोडर पर के अनुसार, अगर जिलाधिकारी (न्यायिक) उप संचालक चकबन्दी डॉ. ज्ञान प्रकाश 24 फरवरी को दोपहर 2 बजे तहसील बांसी के ग्राम पाली के पंचायत भवन में चौपाल लगाएंगे। इसके बाद, वे 27 फरवरी को दोपहर 2 बजे तहसील दुमराईगंज के ग्राम बन्दी चांगा के पंचायत भवन में किसानों की समस्याएं सुनेंगे। बनोदस्त अधिकारी चकबन्दी डॉ. ललित कुमार मिश्रा 26 फरवरी को सुबह 10 बजे तहसील बांसी के ग्राम सिंदलवा में उपस्थित रहेंगे। वे 27 फरवरी को सुबह 10 बजे तहसील नौडल के ग्राम जगमोहनी के पंचायत भवन में भी चौपाल आयोजित करेंगे।

यादव लव स्टोरी फिल्म का विरोध, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन: यादव समाज ने प्रतिबंध की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। फिल्म यादव लव स्टोरी के विरोध में यादव समाज के सैकड़ों लोगों ने सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को समाज विरोधी बताया है और इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर नारेबाजी से गुंज उठा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मुद्रण विभागी और प्रगति विभागी के निवेशन में वनी यह फिल्म समाज में नफरत और भेदभाव फैला रही है। उनका कहना है कि फिल्म की कहानी में यादव समाज की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे समाज की मान्यताएं आहत हुई हैं और सामाजिक संतुलन बिगड़ने की आशंका है।

कलेक्ट्रेट परिसर में जुटे लोगों ने यादव नूती बंद करने के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने बेवानी दी कि यदि फिल्म को रीलीज किया गया या किसी भी रिलेगा हांग में प्रदर्शित किया गया, तो यादव समाज इसका कड़ा विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि समाज अपने समाज से कोई समझौता नहीं करेगा और जरूरत पड़े तो वे ध्यामक आंदोलन किया जाएगा।

मगहर में संत गाड़गे महाराज की जयंती: आमी नदी के धोबी घाट पर श्रद्धा और उत्साह से मनाई गई



अदालती नोटिस प्रारूप 7

अदालती नोटिस प्रारूप 7
नियम-11 (1)
धरलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा-12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना आदेश—श्रीमान जेठम/ एफ्फ 01/20 (सीए00200) महोदय बस्ती जिला—बस्ती
प्रतीक परलू हिंसा परिवार घाट सं 498/2025
थाना—कोवाली जिला—बस्ती
श्रीमती साहिबा खानुम नाम
जमील आदि
1. जमील उम्र तख्तीन 38 साल पेशा पेटर (पति) 2. मुसफा कर्फ लडखु उम्र तख्तीन 45 साल पेशा ल्यापार (जेठ) 3. शकील उम्र तख्तीन 30 साल पेशा पेटर (दरार) पितरमन मंत्री यालीन 4. श्रीमती खाना उम्र तख्तीन 40 साल जौजे मुसफा उर्फ लडखु युवा गृहणी (जेलफा) 5. श्रीमती मजीद उम्र तख्तीन 70 साल जौजे रचमो मोहम्मद यालीन 6. कोच बडी कार्यावाही की है। जिले की थाना दुआरा पुलिस से बडी कार्यावाही करते हुए अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 28.5 किलोग्राम अफीम के हरे पौधों (जड़, फल व बलू सहित) के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थानाद्वारा दुआरा अतिरिक्त कुमार शर्मा ने बताया कि पूरा मामला थाना पुर्ना मंसूर का है, जहां एक व्यक्ति अपने मकान के सामने बनी बाउंड्री के अंदर अफीम की खेती कर रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापीमारी की। मौके पर बाउंड्री के भीतर एक क्यारी से अफीम के पौधे लगे पाए गए। पुलिस ने मौके से अवैध तैयार छोड़ पूरा इररामन अदरम निवेदना थाना मंसूर, थाना दुआरा, को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने अपने बच्चा रिजवान के साथ मिलकर लाना कमाने के उद्देश्य से अफीम की बुवाई की है। इस संबंध में थाना दुआरा पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पत्रीकृत कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।

टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन, टीचरों में आक्रोश



संवाददाता—अयोध्या। टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन के साथ शिक्षण कार्य भी किया। अयाट व बोर्ड परीक्षा केंद्र भी इसकी सूचना दी।

टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक व उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने आंदोलन में प्रतिभाग किया। बोर्ड परीक्षा में उडुटी कर रहे परियेदीय विद्यार्थियों के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर परीक्षा संपन्न कराई। डायट में वन रहे शिक्षण में प्रतिभाग करने वाले शिक्षक भी आंदोलन का हिस्सा बने और प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी ने कहा कि सरकार के रवेये से शिक्षकों में आक्रोश है।

घरेलू विवाद में महिला ने की खुदकुशी

संवाददाता—गोरखपुर। उरुवा थाना क्षेत्र के कोटिया गांव में घरेलू विवाद से आहत एक महिला ने अपने घर में लटककर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने मौके की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जाणकारी के अनुसार, कोटिया निवासी 30 वर्षीय गीता पत्नी मदन गौंड ने सोमवार दोपहर पंचायत तिन बज विदेश में रह रहे अपने पति से मोबाइल पर बातचीत की। इसके बाद वह कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब घर की महिलाएं दरवाजा खुलवाने पहुंचीं और अंदर से कोठे प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्होंने दरवाजे के सुराख से देखा।

भीतर का दृश्य देखकर परिवार में हड़कंप मचा गया। मुत्ता का आठ वर्ष का एक पुत्र है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मोकरा की सस श्यामपाती की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

क्रिकेट कोच अनिकेत उपाध्याय के नाम एक और उपलब्धि

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। कोच अनिकेत उपाध्याय ने क्रिकेट ओस्ट्रेलिया से रिजिस्ट्रेशन (लेवल-2) कोच का सर्टिफिकेट हासिल कर एक और उपलब्धि अपने नाम की है। अनिकेत पहले से ही बीसीसीआइ लेवल-1 कोच हैं और इस क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं।

अनिकेत की कोशिश विद्यार्थियों शब्दों के बजाय कार्यों में विश्वास करती है, और उन्हे विषय याद हमारे जिले में क्रिकेट की हर स्थिति से अच्छी तरह वाकफ हैं, और अपने अनुभव और जुनून के साथ, वह बस्ती क्रिकेट को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं।

अनिकेत ने वेंकट शर्मा (अंडर-19 मारत), शिवांग शर्मा (जे एंड के राजकी ट्रोफी एवं कप्तान अंडर-23 जे एंड के), अहम पोदार (गुजरात विजय हजारे एवं कप्तान अंडर 23 गुजरात), आंजय सुयंश्री (उत्तराखंड रणजी ट्रोफी) त्रिपठी जौशी (कनाडा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी), राहुल तेलतिया (भारतीय एवं अंडीपील खिलाड़ी) जैसे कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षित और विकसित किया है।

अदालती नोटिस प्रारूप 8

अदालती नोटिस प्रारूप 8
नियम-11 (1)
धरलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा-12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना आदेश—श्रीमान जेठम/ एफ्फ 01/20 (सीए00200) महोदय बस्ती जिला—बस्ती
प्रतीक परलू हिंसा परिवार घाट सं 498/2025
थाना—कोवाली जिला—बस्ती
श्रीमती साहिबा खानुम नाम
जमील आदि
1. जमील उम्र तख्तीन 38 साल पेशा पेटर (पति) 2. मुसफा कर्फ लडखु उम्र तख्तीन 45 साल पेशा ल्यापार (जेठ) 3. शकील उम्र तख्तीन 30 साल पेशा पेटर (दरार) पितरमन मंत्री यालीन 4. श्रीमती खाना उम्र तख्तीन 40 साल जौजे मुसफा उर्फ लडखु युवा गृहणी (जेलफा) 5. श्रीमती मजीद उम्र तख्तीन 70 साल जौजे रचमो मोहम्मद यालीन 6. कोच बडी कार्यावाही की है। जिले की थाना दुआरा पुलिस से बडी कार्यावाही करते हुए अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 28.5 किलोग्राम अफीम के हरे पौधों (जड़, फल व बलू सहित) के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थानाद्वारा दुआरा अतिरिक्त कुमार शर्मा ने बताया कि पूरा मामला थाना पुर्ना मंसूर का है, जहां एक व्यक्ति अपने मकान के सामने बनी बाउंड्री के अंदर अफीम की खेती कर रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापीमारी की। मौके पर बाउंड्री के भीतर एक क्यारी से अफीम के पौधे लगे पाए गए। पुलिस ने मौके से अवैध तैयार छोड़ पूरा इररामन अदरम निवेदना थाना मंसूर, थाना दुआरा, को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने अपने बच्चा रिजवान के साथ मिलकर लाना कमाने के उद्देश्य से अफीम की बुवाई की है। इस संबंध में थाना दुआरा पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पत्रीकृत कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।

अदालती नोटिस प्रारूप 9

अदालती नोटिस प्रारूप 9
नियम-11 (1)
धरलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा-12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना आदेश—श्रीमान जेठम/ एफ्फ 01/20 (सीए00200) महोदय बस्ती जिला—बस्ती
प्रतीक परलू हिंसा परिवार घाट सं 498/2025
थाना—कोवाली जिला—बस्ती
श्रीमती सुनीता सिंह नाम
अर्जुन सिंह
1. अर्जुन सिंह उम्र लगभग 65 साल पुत्र बलराम सिंह साकिन कटरहा तथा पडिया परगना बस्ती पूर्व तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 09-03-2026
हरगाह ने आपक नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 09 माह 03 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असातलत या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार बावई वाकफ किया गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्सा हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपक इजहार के लिये मुकरर हैं वारसे इन्फिकसाल करतई मुकदमा के तबवीज हुई हैं और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करे।

अदालती नोटिस प्रारूप 10

अदालती नोटिस प्रारूप 10
नियम-11 (1)
धरलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा-12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना आदेश—श्रीमान जेठम/ एफ्फ 01/20 (सीए00200) महोदय बस्ती जिला—बस्ती
प्रतीक परलू हिंसा परिवार घाट सं 498/2025
थाना—कोवाली जिला—बस्ती
श्रीमती सुनीता चौधरी आदि
1. श्रीमती सुनीता चौधरी उम्र करीब 41 साल पत्नी राम कुमार चौधरी आदि साकिन गाऊखेर तथा पडिया परगना बस्ती पूर्व तहसील व जिला बस्ती
—प्रतिवादिनी प्रथम वर्ग
2. सीताराम पाण्डेय उम्र करीब 67 साल पुत्र बलराम साकिन गाऊखेर तथा पडिया परगना बस्ती पूर्व तहसील व जिला बस्ती
—प्रतिवादिनी प्रथम वर्ग
मजकूरफरवद ने इस अदालत में दरखास्त इलूम मुशरफ मनखूरी हिदायति नालिश नागुदा हरु हिदायत अदालत हाजा बतावरीक हाह सन 50 पेश को है।

चकबन्दी अधिकारी के खिलाफ लेखपाल गंध का प्रदर्शन



संवाददाता—संतकबीरनगर। चकबन्दी लेखपाल गंध का प्रदर्शन में सोमवार को चकबन्दी अधिकारी एस मोहम्मद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संघ का आरोप है कि चकबन्दी लेखपाल राम प्रवेश यादव को बिना पर्याप्त साक्ष्य के निलंबित किया गया है। मामला बनघाटा के ग्राम सदी से संबंधित है, जहां चकबन्दी कार्य में अनियमितता का आरोप है। संघ का कहना है कि इस मामले में चकबन्दी अधिकारी एस मोहम्मद की जांच रिपोर्ट के आधार पर लेखपाल राम प्रवेश यादव को निलंबित किया गया है। संघ के सदस्यों ने आरोप लगाया कि चकबन्दी अधिकारी एस मोहम्मद बिना किसी ठोस साक्ष्य के लेखपाल को दोषी ठहरा रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि राम प्रवेश यादव को निवेदन आवधिके दौरान चकबन्दी अधिकारी कार्यालय खलीलाचर में अर्द्ध घण्टा गया है और उन्हे लगातार जेल भेजने की धमकी दी जा रही है।

संघ ने दावा किया कि आपत्तियां चकबन्दी अधिकारी के मौखिक आदेश

होली से पहले खाद्य विभाग का छापामार अभियान

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। होली पर्व से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विशेष अभियान चलाया। यह कार्रवाई सोमवार, 23 फरवरी को आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के निर्देश पर सहायक आयुक्त (खाद्य)—II के नेतृत्व में की गई। अभियान के दौरान टीम ने नौगढ़ और धरौली क्षेत्र में सांद्रण खाद्य पदार्थों की जांच की, नमूने निरीक्षण में 160 किलोग्राम खाद्य अनिश्चर-रथकर और अरुचर चक पदार्थों में पाया गया। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन होने के कारण विभाग ने मौके पर ही इस पूरे खाद्य को नष्ट कर दिया। धरौली स्थित वन विभाग जोराह पर भी टीम ने कार्रवाई की और नमूना का नमूना लिया। जांच में 124 किलोग्राम अरुचर प्रथम दृष्टया मानकों के अनुसार नहीं पाया गया, जिसके बाद विभाग ने उस तालिका सौज कर दिया। सभी संबंधित नमूनों को आगे की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है (खाद्य सुरक्षा विभाग के अति संचालन में बताया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अदालती नोटिस प्रारूप 11

अदालती नोटिस प्रारूप 11
नियम-11 (1)
धरलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा-12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना आदेश—श्रीमान जेठम/ एफ्फ 01/20 (सीए00200) महोदय बस्ती जिला—बस्ती
प्रतीक परलू हिंसा परिवार घाट सं 498/2025
थाना—कोवाली जिला—बस्ती
श्रीमती सुनीता चौधरी आदि
1. श्रीमती सुनीता चौधरी उम्र करीब 41 साल पत्नी राम कुमार चौधरी आदि साकिन गाऊखेर तथा पडिया परगना बस्ती पूर्व तहसील व जिला बस्ती
—प्रतिवादिनी प्रथम वर्ग
2. सीताराम पाण्डेय उम्र करीब 67 साल पुत्र बलराम साकिन गाऊखेर तथा पडिया परगना बस्ती पूर्व तहसील व जिला बस्ती
—प्रतिवादिनी प्रथम वर्ग
मजकूरफरवद ने इस अदालत में दरखास्त इलूम मुशरफ मनखूरी हिदायति नालिश नागुदा हरु हिदायत अदालत हाजा बतावरीक हाह सन 50 पेश को है।

अदालती नोटिस प्रारूप 12

अदालती नोटिस प्रारूप 12
नियम-11 (1)
धरलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा-12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना आदेश—श्रीमान जेठम/ एफ्फ 01/20 (सीए00200) महोदय बस्ती जिला—बस्ती
प्रतीक परलू हिंसा परिवार घाट सं 498/2025
थाना—कोवाली जिला—बस्ती
श्रीमती सुनीता चौधरी आदि
1. श्रीमती सुनीता चौधरी उम्र करीब 41 साल पत्नी राम कुमार चौधरी आदि साकिन गाऊखेर तथा पडिया परगना बस्ती पूर्व तहसील व जिला बस्ती
—प्रतिवादिनी प्रथम वर्ग
2. सीताराम पाण्डेय उम्र करीब 67 साल पुत्र बलराम साकिन गाऊखेर तथा पडिया परगना बस्ती पूर्व तहसील व जिला बस्ती
—प्रतिवादिनी प्रथम वर्ग
मजकूरफरवद ने इस अदालत में दरखास्त इलूम मुशरफ मनखूरी हिदायति नालिश नागुदा हरु हिदायत अदालत हाजा बतावरीक हाह सन 50 पेश को है।